रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042025-262217
CG-DL-E-02042025-262217

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1543] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 2025/चैत्र 11, 1947
No. 1543] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 2025/CHAITRA 11, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2025

सं. 1/2025–26

विषयः वर्ष 2025–26 के दौरान मालदीव गणराज्य को आवश्यक पण्य वस्तुओं की पूर्ति के संबंध में।

का.आ. 1562(अ).—समय–समय पर यथा सं'गोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 और विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धार 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 'निर्यात नीति हेतु सामान्य टिप्पणी' के खंड (ठ) को निम्नानुसार सं'गोधित करती हैः

1. भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत, नीचे दी गई तालिका–1 के कॉलम (2) में उल्लिखित आव''यक पण्य वस्तुओं का वर्ष 2025–26 के दौरान, मालदीव गणराज्य को नीचे दी गई तालिका–1 के कॉलम (4) में उल्लिखित मात्रा तक, निर्यात करने की अनुमति हैः–

तालिका–1

क्रम सं.	पण्य वस्तुएं	इकाई	वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अनुमत मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
i.	अंडे	संख्या	448,913,750
ii.	आलू	मी.ट.	22,589
iii.	प्याज	मी.ट.	37,537
iv.	चावल	मी.ट.	130,429
v.	गेहूं का आटा	मी.ट.	114,621
vi.	चीनी	मी.ट.	67,719
vii.	दाल	मी.ट.	350
viii.	स्टोन एग्रीगेट	मी.ट.	1,300,000
ix.	नदी की रेत	मी.ट.	1,300,000

2. मालदीव गणराज्य को उपरोक्त तालिका–1 के कॉलम (2) में उल्लिखित वस्तुओं का निर्यात वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान किसी भी मौजूदा या भविष्य के प्रतिबंध/निषेध से मुक्त रहेगा।

3. वर्ष 2025–26 के दौरान मालदीव गणराज्य को निषिद्ध/प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली ऊपर दी गई तालिका–1 के कॉलम (2) में उल्लिखित आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की अनुमति केवल निम्नलिखित छह सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से दी जाएगीः –

i. मुंद्रा समुद्री पत्तन (आइएनएमयूएन1)
ii. तूतीकोरिन समुद्री पत्तन (आइएनटीयूटी1)
iii. न्हावा शेवा समुद्री पत्तन (आइएनएनएसए1)
iv. आईसीडी तुगलकाबाद (आइएनटीकेडी6)
v. कांडला समुद्री पत्तन (आइएनआइएक्सवाई1)
vi. विशाखापत्तनम समुद्री (आइएनवीटीजेड1)

4. नदी की रेत और स्टोन एग्रीगेट की उपरोक्त तालिका 1 के कॉलम 4 में उल्लिखित मात्रा के निर्यात के लिए, सीएपीइएक्सआइएल यह सुनिश्चित करेगा कि आपूर्तिकर्ताओं/निष्कर्षणकर्ताओं ने अपेक्षित पर्यावरणीय निकासी प्राप्त कर ली है और यह खनन तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के अनुसार तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) क्षेत्रों में नहीं किया जाता है।

5. इसके अतिरिक्त, नदी की रेत और स्टोन एग्रीगेट के निर्यात की अनुमति केवल संबंधित राज्य सरकारों के नामित नोडल अधिकारियों से पर्यावरण निकासी/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही दी जाएगी, जहाँ से सामग्री प्राप्त की जाती है। यह इन पण्य वस्तुओं के खनन से संबंधित लागू राज्य कानून या न्यायिक आदेशों के अधीन भी है।

इस अधिसूचना का प्रभावः विनिर्दिष्ट मात्रा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए भारत और मालदीव की सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत मालदीव गणराज्य को अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी, दाल, स्टोन एग्रीगेट और नदी की रेत के निर्यात की अनुमति दी गई है। इस अवधि के दौरान ये निर्यात किसी भी मौजूदा या भविष्य के प्रतिबंध या निषिद्ध से मुक्त रहेंगे। इसके अलावा, निषिद्ध या प्रतिबंधित श्रेणी के तहत वर्गीकृत वस्तुओं के निर्यात की अनुमति केवल छह नामित सीमा शुल्क पत्तनों के माध्यम से दी जाएगी। नदी की रेत और स्टोन एग्रीगेट के मामले में, निर्यात पर्यावरण निकसी, सीआरजेड मानदंडों और संबंधित राज्य विनियमों के अनुपालन के अधीन होगा।

[फा. सं. 01/91/171/59/एएम20/ईसी/ई–20816]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE**)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2025

No. 1/2025-26

Subject: Supply of essential commodities to the Republic of Maldives during 2025-26 -reg.

S.O. 1562(E).— In exercise of the powers conferred by Section 3, read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, and paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends Section (L) of the 'General Note to Export Policy' as follows:

1. Export of essential commodities mentioned in Column (2) of the Table-1 below, to the Republic of Maldives, during 2025-26 up to the quantities as mentioned in Column (4) of Table-1 below, is allowed under bilateral trade agreement between Government of India and Government of Maldives:

TABLE-1

S. No.	Commodity	Unit	Quantity allowed for FY 2025-26
(1)	(2)	(3)	(4)
i.	Eggs	Nos.	448,913,750
ii.	Potatoes	MT	22,589
iii.	Onions	MT	37,537
iv.	Rice	MT	130,429
v.	Wheat Flour	MT	114,621
vi.	Sugar	MT	67,719
vii.	Dal	MT	350
viii.	Stone Aggregate	MT	1,300,000
ix.	River Sand	MT	1,300,000

2. Export of the given commodities mentioned in Column (2) of Table-1 above, to the Republic of Maldives shall be exempt from any existing or future restrictions/prohibitions during FY 2025–26.

3. Export of essential commodities, mentioned in Column (2) of Table-1 above, falling under the prohibited/restricted category to the Republic of Maldives during 2025–26 shall be permitted only through the following six Customs Stations: -

i. Mundra Sea port(INMUN1)
ii. Tuticorin Sea Port (INTUT1)
iii. Nhava Sheva Sea Port (INNSA1)
iv. ICD Tughlakabad (INTKD6)
v. Kandla Sea (INIXY1)
vi. Visakhapatnam Sea (INVTZ1)

4. For export of the above quantities of River Sand and Stone Aggregate, as mentioned in Column (4) of Table-1 above, CAPEXIL shall ensure that suppliers/extractors have obtained the required environmental clearances and that mining is not conducted in Coastal Regulation Zone (CRZ) areas, as per the Coastal Regulation Zone Notification.

5. Additionally, export of River Sand and Stone Aggregate shall be permitted only upon obtaining environmental clearances/No Objection Certificates from the designated nodal authorities of the respective State Governments from which the material is sourced. This is also subject to applicable State legislation or judicial orders relating to the mining of these commodities.

Effect of this notification: Export of Eggs, Potatoes, Onions, Rice, Wheat Flour, Sugar, Dal, Stone Aggregate, and River Sand to the Republic of Maldives has been permitted under the bilateral trade agreement between the Governments of India and Maldives for the FY 2025-26, as per the specified quantities. These exports shall remain

exempt from any existing or future restrictions or prohibitions during this period. Further, export of items classified under the prohibited or restricted category shall be allowed only through the six designated Customs ports. In the case of River Sand and Stone Aggregate, exports will also be subject to environmental clearances, CRZ norms and compliance with relevant State regulations.

[F. No. 01/91/171/59/AM20/EC/E-20816]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Dir. General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.04.02 13:38:09 +05'30'